184

14315
30/10/17
स0 निदेशक
31.10.17

बिहार सरकार
स्थानीय निधि अंकेक्षण निदेशालय
वित्त (अंकेक्षण) विभाग

पत्रांक – .... वि0 अं0 पटना, दिनांक....................

प्रेषक,

~~मुख्य लेखा नियंत्रक- सह- निदेशक~~
उप लेखा नियंत्रक।

S.S (JPM)

प्रधान सचिव कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना
पत्र
30 OCT 2017
प्राप्ति तिथि

श्री संजीव
31/10/17

सेवा में

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत - शिवहर
प्रखंड - शिवहर
जिला - शिवहर (बिहार)

विषय – अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या DLFA-42/2016-17 नगर पंचायत - शिवहर प्रखंड - शिवहर जिला - शिवहर के लेखा वर्ष - 2013-14 एवं 2014-15 से संबंधित।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अंकेक्षण प्रतिवेदन की एक टंकित प्रति 46 पृष्ठों में अनुपालनार्थ अग्रसारित किया जाता है जिसकी प्राप्ति सूचना निश्चित रूप से एक सप्ताह के अन्दर दें।

इस विभाग के पत्रांक–2212, दिनांक 24 अप्रील,1982 के आलोक में सामान्य अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन सम्बद्ध कार्यालयों के कार्यालय प्रधान, सीधे मुख्य लेखा नियंत्रक–सह–निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण निदेशालय /उप लेखा नियंत्रक, स्थानीय निधि अंकेक्षण निदेशालय, वित्त (अंकेक्षण) विभाग को भेजेंगे एवं इसकी सूचना अपने प्रशासी विभाग को देगें। ऐसे प्रतिवेदन जिनमें गबन एवं दुर्विनियोग प्रतिवेदित हो, का अनुपालन प्रशासी विभाग के माध्यम से भेजा जाये। गबन एवं दुर्विनियोग से आरोपित कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों पर सम्बद्ध प्रशासी विभाग, नियमानुसार प्रशासनिक या फौजदारी मुकदमों के संबंध में की गई कार्रवाई से स्थानीय निधि अंकेक्षण निदेशालय, वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत करायेगें, इसके लिये प्रशासी विभाग त्वरित कार्रवाई करेंगे।

अनुपालन प्रतिवेदन नीचे अंकित प्रपत्र में प्रतिवेदन प्राप्ति के एक माह के अन्दर अवश्य प्रेषित किया जाये।

विश्वासभाजन
E0/-
~~मुख्य लेखा नियंत्रक-सह- निदेशक~~
उप लेखा नियंत्रक।

नं0 207
2/11/17

ज्ञाप संख्या 31 वि0 अं0
पटना, दिनांक 20/9/17

1. प्रतिलिपि प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना।
2. जिला पदाधिकारी शिवहर
3. उप विकास आयुक्त, शिवहर .... को

अंकेक्षण प्रतिवेदन DLFA-42/2016-17 की टंकित प्रति (46 पृष्ठों में)के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ अग्रसारित।

20.9.17
~~मुख्य लेखा नियंत्रक-सह- निदेशक~~
उप लेखा नियंत्रक।

10732

ज्ञाप संख्या .... वि0 अं0

पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि – अनुपालन शाखा स्थानीय निधि अंकेक्षण निदेशालय, विभागीय मुख्यालय, पटना को अंकेक्षण प्रतिवेदन की एक टंकित प्रति (..............पृष्ठों में) के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ अग्रसारित।

मुख्य लेखा नियंत्रक–सह– निदेशक
उप लेखा नियंत्रक।

....

ज्ञाप संख्या.......................... वि0 अ0

पटना, दिनांक...

प्रतिलिपि – उप महालेखाकार, स्थानीय निधि अंकेक्षण कोषांग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ अग्रसारित।

मुख्य लेखा नियंत्रक–सह– निदेशक
उप लेखा नियंत्रक।

टिप्पणी – अनुपालन भेजने हेतु विहित प्रपत्र।

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या –

अंकेक्षित कार्यालय –

अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका संख्या एवं संक्षिप्त विवरण	कंडिका का अनुपालन ।	सक्षम पदाधिकारी का मंतव्य एवं हस्ताक्षर।	प्रशासी विभाग का मंतव्य।	स्थानीय निधि अंकेक्षण निदेशालय की समीक्षा/मंतव्य।
1	2	3	4	5

बिहार सरकार

बिहार सरकार

वित्त (अंकेक्षण) विभाग

स्थानीय निधि अंकेक्षण निदेशालय

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या – DLF A - 42/2016-17

भाग – 1

नगर पंचायत, शिवहर के लेखा वर्ष 13–14 एवं 14–15 के लेखाओं की नमूना जॉच स्थानीय निधि अंकेक्षण निदेशालय, वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक–14 दिनांक–14.07.15 के आलोक में सम्पन्न किया गया।

परिचयात्मक :–

(क) प्रशासी विभाग का नाम :– नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना।

(ख) अंकेक्षण अवधि के नियंत्री पदाधिकारी का नाम, पदनाम :– जिला पदाधिकारी, शिवहर।

(ग) प्रशासन :–

(i) श्रीमति – चन्द्रकला देवी, अध्यक्ष

01.04.13 से 31.03.15

(ii) श्री कौशल किशोर तिवारी – उपाध्यक्ष

01.04.13 से 31.03.15

(iii) श्री कृष्ण मोहन राम – कार्यपालक पदाधिकारी

01.04.13 से 31.03.15

(घ) अंकेक्षण में सहयोग देने वाले कर्मचारी का नाम/पदनाम :–

श्री अमरनाथ चौधरी, प्र0 लि0

(ङ) वरीय अंकेक्षकों के नाम :–

(i) श्री कुमार गंगा नन्द सिंह, व0अं0–2

(ii) श्री चौधरी शंभूनाथ राय, व0अं0–2

182

(च)	अंकेक्षण प्रारंभण तिथि	–	दि0 22.07.15
(छ)	अंकेक्षण समापन तिथि	–	दि0 24.08.15
(ज)	अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस	–	15 दिन।

भाग – 2

प्रभाग – क

1. **लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र :–**

लेखाओं के वित्तिय विवरण (प्राप्ति और भुगतान लेखे) तैयार नहीं किये गये थे, अतः यह प्रमाणित नहीं किया जा सका की उपयोग की गयी राशि प्राधिकृत प्रयोजनों के लिए खर्च की गयी है और लेखे वित्तिय वर्ष 13–14 से 14–15 के लिए प्राप्तियों और भुगतान को समुचित रूप से प्रस्तुत करते है।

2. लेखा परीक्षा का क्षेत्र :– अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेखों की नमूना जॉच की गई। प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची प्रतिवेदन के परिशिष्ट – "क" पर दी गई है।

3. पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन :–

स्थानीय निधि अंकेक्षण निदेशालय का यह प्रथम अंकेक्षण था। महालेखाकार बिहार, पटना का अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं अनुपालन से संबंधित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण दल के समक्ष उपस्थापित नहीं किया गया।

4. अनुदान :– तेरहवीं वित्त आयोग, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग मद में प्राप्त अनुदान एवं मदवार व्यय की विवरणी प्रतिवेदन के परिशिष्ट "ख, ग एवं घ" पर संलग्न किया गया है। परिशिष्ट के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि योजनाओं का कार्यान्वयन योजना के लिए तय मार्गदर्शिका के अनुसार नहीं किया गया था। तय मार्गदर्शिका के अनुसार कार्य नहीं किये जाने के कारण सरकार द्वारा निर्धारित कार्यक्षेत्र में कुछ क्षेत्र में विशेष कार्य किया गया एवं कुछ क्षेत्रों में बिल्कुल कार्य नहीं हो गया जो, आपत्ति का विषय है।

अतः नगर पंचायत, शिवहर को यह सुझाव दिया जाता है कि प्राप्त अनुदान को विहित प्रपत्र में शीर्षवार अनुपयुक्त अनुदान वर्ष में प्राप्त अनुदान, व्यय की गई राशि एवं वर्ष के अंत में

शीर्षवार अनुपयुक्त अनुदान की स्थिति अनुदान पंजी में संधारित कर अगले अंकेक्षण को दिखाया जाय।

5. योजनाओं की भौतिक स्थिति :– वर्ष 13–14 एवं 14–15 में नगर पंचायत, शिवहर द्वारा विभिन्न मदों से योजना का कार्य कराया गया था, जिसमें से अधिकांश योजनाओं का कार्य वर्ष के अर्न्तगत ही पूर्ण कर लिया गया था। सिर्फ संचित निधि मद में कुल क्रियान्वित योजनाओं में से 02 योजना का कार्य लंबित था। उक्त से संबंधित विस्तृत विवरणी प्रतिवेदन के परिशिष्ट "ड़" पर संलग्न है। विवरणी में उल्लिखित अपूर्ण योजना का कार्य शीघ्र पूरा करा कर योजना पर दी गयी अग्रिम को समायोजित किया जाय एवं कृत कारवाई के परिणाम से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, स्थानीय निधि अंकेक्षण निदेशालय, बिहार, पटना को भी अवगत कराया जाय।

6. **स्वयं के स्त्रोतों से आय :–**

नगर पंचायत, शिवहर के द्वारा होल्डींग टैक्स, सैरात बंदोवस्ती एवं मुद्रांक शुल्क मद में आय दर्शाया गया था। उक्त मदों में आय से संबंधित विस्तृत विवरण वितिय संव्यवहार में दर्शाया गया है।

7. **बजट :–**

नगर पंचायत शिवहर द्वारा लेखा वर्ष 13–14 एवं 14–15 में वार्षिक बजट बनाया गया था एवं इसे सशक्त स्थायी समिति द्वारा पारित कराकर नगर विकास विभाग को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया था। उक्त से संबंधित विवरणी प्रतिवेदन के परिशिष्ट "च" पर संलग्न है। विवरणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनुमानित आय एवं व्यय वास्तविकता से भिन्न है। अतः नगर पंचायत कार्यालय को सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में संतुलित बजट बनाया जाय।

<u>प्रभाग – ख</u>

8. वित्तिय सव्यवहार :– नगर पंचायत, शिवहर के लेखा वर्ष 13–14 एवं 14–15 का वित्तिय संव्यवहार निम्नवत् है।

(i) सामान्य रोकड़ पुस्त का अधिदृश्य

1180

वर्ष	13–14	14–15
प्रा0 शेष	4,68,84,235.69	9,87,59,390.69
वर्ष की प्राप्ति	12,73,72245.00	88702753.00
कुल प्राप्ति	17,42,56,480.69	187462143.69
वर्ष का व्यय	7,54,97,090.00	6,76,39,413.00
अंत शेष	9,87,59,390.69	11,98,22730.69

(i) सामान्य रोकड़ पुस्त के प्रारम्भण एवं अंतः शेष के राशि का विस्तृत विवरण रोकड़ पुस्त में अंकित नहीं किया गया था। अंकेक्षण का सुझाव है कि संवरण शेष की राशि का विस्तृत विवरण रोकड़ पुस्त में अंकित कर अगले अंकेक्षण को दिखाया जाय।

(ii) उक्त प्रारम्भण एवं अंत शेष की राशि के बैंक में जमा से संबंधित विस्तृत विवरण अंकेक्षण में प्रस्तुत बैंक पासबुक के आधार पर तैयार किया गया है जिसकी विस्तृत विवरण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "छ" पर संलग्न की गई है।

(iii) उक्त संलग्न विवरणी से स्पष्ट होता है कि सामान्य रोकड़ पुस्त के अंत शेष एवं बैंक में जमा राशि में काफी अन्तर है जिसे बैंक समाधान विवरणी तैयार कर अगले अंकेक्षण को दिखाया जाय साथ ही इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग, स्थानिय निधि अंकेक्षण निदेशालय, बिहार, पटना को भी दी जाय।

(iv) सामान्य रोकड़ पुस्त के वित्तिय अधिदृश्य का विस्तृत विवरण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "ज" पर संलग्न की गई है। सामान्य रोकड़ पुस्त में दिनांक–31.03.15 को अंत शेष की राशि रू0 119823600.69 दर्शाई गई है जबकि सहायक रोकड़ पुस्तों के योग की राशि वास्तविक रूप में 119822730.69 होता है।

(v) नगर पंचायत, शिवहर के द्वारा संधारित सहायक रोकड़ पुस्तों के वित्तिय संत्यवहार प्रतिवेदन के परिशिष्ट "झ" एवं ञ" पर संलग्न की गई है। संलग्न विवरणी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वर्ष के अंत में अंतः शेष की बड़ी राशि पड़ी हुई है। अंकेक्षण का सुझाव है कि अंतः शेष के रूप में पड़ी हुई राशि को यथाशीघ्र योजना कार्यो में व्यय किया जाय ताकि राशि का उपयोग

हो सके। अन्यथा व्यय नहीं होने की स्थिति में राशि को उच्चाधिकारियों से निदेश प्राप्त कर राशि सक्षम प्राधिकार को वापस किया जाय।

(vi) नागरिक सुविधा एवं पथ निर्माण विभाग के सहायक रोकड़ पुस्त में दिनांक 31.07.14 को भा0 स्टेट बैंक के खाता सं0 में 11469258718 में अर्जित ब्याज की राशि रू0 61,559.00 को आय पक्ष में अंकित किया गया था, परन्तु उस दिन के प्रारम्भण रोकड़ की राशि रू0 523301.94 में ब्याज की राशि जोड़ने के पश्चात् रू0 584860.94 के स्थान पर 584060.94 अंकित करने के कारण रू0 800.00 कुल आय में कम दर्शाया गया था। उक्त कम राशि को रो0 पु0 में अंकित कर अगले अंकेक्षण को दिखाया जाय।

(vii) होल्डींग टैक्स के स0 रो0 पु0 एवं पी0 एन0 बी0 खाता सं0 –34315 के मिलान क्रम में पाया गया कि दि0 09.02.15 को होल्डींग रसीद सं0 3379 से 3400 द्वारा काटी गयी होल्डींग टैक्स की राशि रू0 7682.00 बैंक खाता में जमा था, परन्तु उक्त राशि की प्रविष्टि स0 रो0 पु0 में नहीं की गई थीं। उक्त राशि को संबंधित रोकड़ पुस्त में उक्त राशि को संबंधित रोकड़ पुस्त में प्रविष्ट कर अगले अंकेक्षण को दिखाया जाय।

(9) रू0 34,200.00 मुद्रांक शुल्क की राशि कटौती नहीं करने के कारण राजस्व की क्षति वसूली योग्य :–

सैरात बंदोवस्ती से संबंधित अभिलेखों के जॉच क्रम में पाया गया कि वर्ष 13–14 के लिए खुले डाक से शिवहर बस स्टैंड एवं वैशाखी पशु मेला की बंदोवस्ती दि0 21.03.13 को किया गया था। उच्चतम डाककर्ता श्री गोपाल कुमार गुप्ता को बस स्टैंड की बंदोवस्ती एवं वैशाखी पशु मेला तेरह आना की बंदोवस्ती श्री त्रिपुरारी प्र0 शाही को क्रमशः रू0 9,04,000.00 एवं 2,36,000.00 में किया गया था। जॉच क्रम में पाया गया कि दोनो बंदोवस्तीधारियों को बिना मुद्रांक शुल्क की राशि काटे बिना ही बंदोवस्ती कर दिया गया था। जबकि मुख्य सचिव बिहार एवं सचिव सह आइ0 जी0 पंजीकरण के आदेशानुसार बंदोवस्तीधारियों से बंदोवस्ती की राशि का तीन प्रतिशत मुद्रांक शुल्क की राशि का कटौती कर उचित शीर्ष में जमा किया जाना है। उक्त के संबंध में निर्गत आपत्ति के जबाब में कहा गया कि संबधित व्यक्ति से वसूली की कारवाई की जा रही है।

अतः उपरोक्त बंदोवस्ती की राशि रू0 9,04,000.00 एवं रू0 2,36,000.00 का तीन प्रतिशत क्रमशः रू0 27,120.00 एवं रू0 7,080.00 कुल रू0 34,200.00 राजस्व क्षति की राशि संबंधित जिम्मेवार व्यक्ति से वसूल कर उचित शीर्ष (मद) में जमा किया जाय एवं कृत कारवाई के परिणाम से वित्त (अंकेक्षण) विभाग स्थानीय निधि अंकेक्षण निदेशालय, बिहार, पटना को भी अवगत कराया जाय।

(10) न्यूनतम दर से अधिक दर पर खरीद के कारण रू0 4,13,687.00 अधिक भुगतान की राशि वसूली योग्य।

तेरहवीं वित्त आयोग के व्यय से संबंधित अभिश्रवों एवं संचिका के जॉच क्रम में पाया गया कि नगर पंचायत, शिवहर के सशक्त स्थायी समिति के प्रस्ताव सं0 02 दिनांक–24.11.12 द्वारा ठोस अवशिष्ट प्रबंधन के तहत सामग्रियों के क्रय हेतु प्रस्ताव पारित किया गया था, जो निम्नवत् है :–

(1) ट्रेक्टर – 01 (2) हाइड्रोलीक मशीन–01 (3) सेक्सन मशीन–01 (4) टाटा पावर टीलर–01 (5) फौगींग मशीन–01 (6) बड़ा डस्टबीन–20 (7) डस्टबीन–15 (8) हैंड ट्रौली–04 (9) पानी टंकी–01 एवं (10) स्मौल जे0 सी0 बी0 –01

उक्त पारित प्रस्ताव के आलेक में नगर पंचायत, शिवहर द्वारा निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग बिहार, पटना को अपने पत्रांक–195 दि0–02.03.13 के द्वारा निविदा आमंत्रण की सूचना प्रकाशित करने का अनुरोध किया गया। उक्त सामग्रियों के आपूर्ति हेतु दि0–13.03.13 को हिन्दुस्तान समाचार पत्र में निविदा हेतु आमंत्रण प्रकाशित किया गया। निविदा आमंत्रण के पश्चात् विभिन्न फर्मो द्वारा निविदा समर्पित किया गया। समर्पित निविदाओं के तुलनात्मक विवरणी में न्यूनतम दर पर क्रय किया जाना चाहिए था, परन्तु जॉच के क्रम में पाया गया कि उक्त सामग्रियों में से कुछ सामग्रियों का क्रय न्यूनतम दर से अधिक दर पर किया गया था। न्यूनतम दर से अधिक दर पर क्रय किये जाने के कारण आपूर्तिकर्त्ताओं को रू0 4,13,687.00 का अधिक भुगतान कर दिया गया। उक्त अधिक भुगतान की विस्तृत विवरणी प्रतिवेदन के परिशिष्ट "त" पर संलग्न की गई है। उक्त अधिक भुगतान के संबंध में निर्गत आपति के जवाब में कहा गया कि क्रय समिति के अनुमोदन एवं गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए क्रय किया गया, जबकि अभिलेख में गुणवता से संबधित कोई भी प्रमाण नहीं पाया गया।

अतः न्यूनतम निविदा की दर से अधिक दर पर खरीद के कारण अधिक भुगतान की गई राशि रू0 413687.00 संबधित जिम्मेवार व्यक्ति से वसूल की जाय एवं फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग स्था0 निधि अंकेक्षण निदेशालय, बिहार, पटना को भी अवगत कराया जाय।

(11) रू0 14,205.00 योजना में अधिक भुगतान वसूली योग्य।

(1) योजना संख्या/वर्ष – 03/14–15 (तेरहवीं वित्त आयोग)

(2) योजना का नाम – नगर पंचायत, शिवहर के वार्ड सं0–08 में पिपराहीर पक्की सड़क से मोस्तकीम मियॉ के घर तक जानेवाली सड़क में स्लैब के साथ नाला निर्माण।

(3) अभिकर्ता का नाम – श्री मोती चन्द्र रावत, क0 अ0

(4) प्राक्कलित राशि – रू0 4,77,200.00

(5) तकनिकी स्वीकृति की तिथि – 07.10.2014

(6) प्रशासनिक स्वीकृति की तिथ – 06.12.2014

(7) कार्यादेश की तिथि – 12.12.14

(8) अंतिम मापी की राशि – 4,29,178.00

(9) योजना पर की गई कर कटौती की राशि – वैट रू0 28,304.00

रोयाल्टी रू0 3718

श्रम सेस रू0 4269.00

कुल – 36,291.00

(10) अभिकर्ता को कर कटौती के पश्चात शुद्ध भुगतान की गई राशि – रू0 4,11,291.00

<u>अंकेक्षण का टिप्पणी</u> –

तेरहवीं वित्त आयोग के योजना सं0 –03/14–15 के जॉच क्रम में पाया गया कि योजना के प्राक्कलित राशि रू0 4,77,200.00 में से ठीकेदार मुनाफा 13.04% की दर से काटने के पश्चात् रू0 4,14,973.00 का ही व्यय योजना कार्य पर किया जाना था। जबकि अन्तिम मापी रू0 4,29,178.00 का किया गया था एवं उतनी ही राशि का भुगतान (कर कटौती एवं शुद्ध भुगतान की राशि को मिलाकर) अभिकर्ता को किया गया था। उक्त के संबंध में निर्गत आपति के जबाव में कार्यालय द्वारा जबाब दिया गया कि जॉचोपरान्त अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली अभिकर्ता से की जायेगी।

अतः अभिकर्ता को भुगतान की गई राशि रू0 4,29,178.00 मे से वास्तविक रूप में योजना पर व्यय करने योग्य राशि रू0 4,14,973.00 को घटाने के पश्चात् शेष राशि रू0 14,205.00 का अधिक भुगतान अभिकर्ता को किया गया है, जो संबधित व्यक्ति से वसूली कर कृत कारवाई के परिणाम से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, स्थानीय निधि अंकेक्षण निदेशालय बिहार, पटना को अवगत कराया जाय।

(12) रू0 61,40,000.00 योजना अग्रिम की राशि वसूली योग्य।

नगर पंचायत, शिवहर के नगर विकास भवन के सहायक रोकड़ पुस्त के व्यय पक्ष के जॉच क्रम में पाया गया कि नगर पंचायत, शिवहर के प्रागंण में कार्यालय भवन के निर्माण हेतु डुडा को दि0 11.03.14 को रू0 61,40,000.00 की राशि अग्रिम स्वरूप प्रदान किया गया था। जॉच के क्रम में पाया गया कि अग्रिम प्राप्ति के पश्चात् भी अंकेक्षण तिथि तक कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था। इतनी बड़ी राशि अग्रिम प्राप्ति के पश्चात् भी कार्य नहीं किया जाना वित्तीय एवं प्रशासनिक लापरवाही का द्योतक है। उक्त के संबध में निर्गत आपत्ति के अनुपालन में बताया गया कि अग्रिम की राशि की वापसी हेतु पत्राचार किया जायेगा। जो संतोषजनक नहीं है।

अतः अंकेक्षण का मंतव्य है कि उक्त योजना अग्रिम की राशि सूद सहित संबधित कार्यालय से प्राप्त कर संबधित मद में जमा किया जाय तथा आवश्यकतानुसार कार्यालय भवन के निर्माण हेतु सक्षम प्राधिकार से निदेश प्राप्त कर अग्रेतर कारवाई किया जाय तथा कृत

कारवाई के परिणाम से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, स्थानीय निधि अंकेक्षण निदेशालय बिहार, पटना को भी अवगत कराया जाय।

(13) रू0 11,650.00 बकाया दुकान किराया की राशि वसूली योग्य।

नगर पंचायत, शिवहर के द्वारा निर्मित मार्केट कम्पलेक्स से संबंधित दुकान आवंटन संचिका संबंधित रोकड़ पुस्त एवं नाजीर रसीद के मिलान एवं जॉच क्रम में पाया गया कि विभिन्न किरायादारों को विभिन्न वर्ष एवं तिथियों में दुकान का आवंटन किया गया था। दुकान आवंटन संचिका के अवलोकन क्रम में पाया गया कि किरायादारों के एकरारनामा के अनुसार सुरक्षित जमा राशि से प्रतिमाह निधार्रित किराया का आधा राशि समायोजित किया जायेगा एवं आधा राशि प्रतिमाह किरायादारों द्वारा जमा की जायेगी। संचिका के अवलोकन के क्रम में पाया गया कि विभिन्न किरायादारों के पास अंकेक्षण अवधि तक रू0 11,650.00 किराया की राशि लंबित था। लंबित किराया रू0 11,650.00 से संबधित विस्तृत विवरण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "थ" पर संलग्न की गई है। उक्त के संबंध में निर्गत आपत्ति के जबाब में कहा गया कि लंबित राशि की वसूली कर ली जायेगी।

अतः प्रतिवेदन में संलग्न विवरणी में उल्लिखित किरायादारों से लंबित किराया की राशि रू0 11,650.00 वसूल कर संबधित मद में जमा किया जाय एवं कृत कारवाई के फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, स्थानीय निधि अंकेक्षण निदेशालय, बिहार, पटना को भी अवगत कराया जाय।

(14) रू0 1221.00 रॉयल्टी की कम/नहीं कटौती राजस्व क्षति की राशि वसूली योग्य।

नगर पंचायत शिवहर के तेरहवीं वित्त आयोग योजना मद के नमूना जॉच के क्रम में पाया गया कि यो0 सं0 – 02/13–14 एवं 33F2/13–14 के योजना कार्य में प्रयुक्त सामग्रियों पर निर्धारित दर से कम रॉयल्टी की कटौती की गयी थी। उक्त योजना में कम/नहीं कटौती की गयी राशि रू0 1221.00 विस्तृत विवरणी प्रतिवेदन के परिशिष्ट "द" पर संलग्न की गई है। उक्त के संबध में निर्गत आपत्ति के अनुपालन में कहा गया कि संबधित अभिकर्ता से राशि वसूल कर ली जायेगी।

अतः प्रतिवेदन में संलग्न विवरणी के अनुसार संबधित योजना के अभिकर्त्ता से रू0 1221.00 की राशि वसूल कर संबधित शीर्ष में जमा की जाय एवं कृत कारवाई के परिणाम से

१७५

वित्त (अंकेक्षण) विभाग, स्थानीय निधि अंकेक्षण निदेशालय, बिहार, पटना को भी अवगत कराया जाय।

(15) रू0 667.00 अधिक भुगतान की राशि वसूली योग्य।

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग मद के अभिश्रवों के मिलान एवं जॉच क्रम में पाया गया कि अभिश्रव सं0– 04/05.12.14 के द्वारा माह नवम्बर, 2014 का मानदेय श्री रवि रंजन कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर को चेक सं0 063641 दि0 –05.12.14 के माध्यम से रू0 10,000.00 का किया गया था। जॉच क्रम में पाया गया कि अनुपस्थित होने के कारण सक्षम पदाधिकारी के द्वारा रू0 667.00 अदेय करते हुए मात्र रू0 9333.00 का ही अभिश्रव पारित किया गया था। इस प्रकार संबधित प्राप्तकर्ता को रू0 10,000.00, 9333.00 रू0 667.00 का अधिक भुगतान कर दिया गया। उक्त अधिक भुगतान के संबध में निर्गत आपत्ति के अनुपालन में बताया गया कि अभिश्रव एवं चेक के मिलान के पश्चात् आवश्यक कारवाई की जायेगी। आपत्ति का अनुपालन संतोषजनक नहीं है।

अतः अंकेक्षण का मंतव्य है कि मानदेय मद में अधिक भुगतान की राशि संबधित व्यक्ति से वसूल कर संबधित मद में जमा किया जाय एवं कृत कारवाई के परिणाम से वित्त (अं0) विभाग, स्थानीय निधि अंकेक्षण निदेशालय को भी अवगत कराया जाय।

(16) रू0 488.00 होल्डींग टैक्स कटौती की कम जमा राशि वसूली योग्य।

नगर पंचायत शिवहर के होल्डींग टैक्स रसीद बही से लेल्डीग टैक्स के सहायक रोकड़ पुस्त के मिलान के क्रम में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा नियुक्त होल्डींग टैक्स एजेंट द्वारा विभिन्न तिथियों में होल्डींग टैक्स की कटौती की गई थी एवं काटी गई राशि को पी0 एन0 बी0 शिवहर के खाता सं0–34315 में जमा कर जमा पर्ची को कार्यालय में जमा किया गया था। मिलान के क्रय में पाया गया कि काटी गई होल्डींग टैक्स की राशि से कम राशि बैंक में जमा किया गया था तथा जमा पर्ची के आधार पर उक्त राशि को रोकड़ पुस्त के आय पक्ष में लाया गया था। काटी गयी होल्डींग टैक्स से बैंक में कम जमा राशि निम्नववत् है।

क्र0	रसीद सं0	रो0 पु0 में जमा तिथि	वास्तविक वसूली की राशि	बैंक में जमा राशि	अन्तर की राशि	एजेंट का नाम
01	2941 से 2955	29.11.14	26,685.00	26,666.00	19.00	श्री अमरकांत चौधरी
02	3867 से 3883	28.02.15	9218.00	9168.00	50.00	तदैव
03	3901 से 3943	28.02.15	5,680.00	5261.00	419.00	श्री लक्ष्मी नारायण गुप्ता

योग रू0 – 488.00

अतः उपरोक्त अन्तर की राशि रू0 488.00 संबधित होल्डींग टैक्स एजेंट से वसूल कर संबंधित मद में जमा किया जाय एवं कृत कारवाई के परिणाम से वित्त (अं0) विभाग स्थानीय निधि अंकेक्षण निदेशालय, बिहार, पटना को भी अवगत कराया जाय।

(17) रू0 30,47,742.91 लंबित होल्डींग टैक्स की राशि वसूली योग्य।

नगर पंचायत शिवहर के होल्डींग टैक्स से संबधित संचिका एवं टैक्स दरोगा शिवहर द्वारा उपलब्ध कराये गये बकाया एवं माँग विवरणी के अनुसार नगर पंचायत शिवहर के अन्तर्गत कुल 4342 होल्डींग का निर्धारण किया गया है। उक्त होल्डींग में 28 सरकारी भवन एवं 4314 निजी मकानों से संबधित है। उक्त होल्डींग वर्ष 13–14 एवं 14–15 के बकाया एवं माँग से संबधित विवरणी प्रतिवेदन के परिशिष्ट "ध एवं न" पर संलग्न की गई है। संलग्न विवरणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वर्ष 13–14 में बकाया एवं मॉग रू0 33,25,844.91 के विरूद्ध संग्रहण मात्र रू0 1,88,920.00 एवं 14–15 में मॉग रू0 42,36,996.91 के विरूद्ध रू0 11,89,254.00 वसूल किया गया है जो संतोषजनक नहीं है। विशेष कर सरकारी भवनों से वसूली नगण्य है। उक्त के संबध में निर्गत आपत्ति के अनुपालन में बताया गया कि वसूली हेतु आवश्यक कारवाई की जा रही है।

अतः अंकेक्षण का मंतव्य है कि लंबित होल्डींग टैक्स के वसूली हेतु विशेष अभियान चलाकर राशि की वसूली की जाय एवं कृत कारवाई के परिणाम से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, स्थानीय निधि अंकेक्षण निदेशालय, बिहार, पटना को भी अवगत कराया जाय।

1172

(18) रू0 5,00,000.00 मोबाइल टावर के पंजीकरण एवं नवीकरण की लंबित राशि वसूली योग्य।

नगर पचायत, शिवहर के अन्तर्गत स्थित मोबाइल टावर अधिष्ठापन से संबधित संचिका एवं टैक्स दारोगा द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरणी के अवलोकन में पाया गया कि नगर पंचायत सीमा के अंर्तगत बी0 एस0 एन0 एल0–01, रिलायन्स–01, एअरटेल–01, एयर सेल–01, टाटा इन्डिकौम–01, बोडाफोन–01 तथा यूनीनौर–01, कुल–07 मोबाइल टावर विभिन्न वर्षो में अधिष्ठापित किये गये थे। उक्त मोबाइल टावरों के पंजीकरण एवं नवीकरण शुल्क के जमा से संबधित संचिका के जॉच क्रम में पाया गया कि मात्र यूनीनोर द्वारा पंजीकरण एवं नवीकरण की राशि जमा किया गया था। शेष 06 मोबाइल टावरों द्वारा पंजीकरण एवं नवीकरण शुल्क की राशि रू0 5,00,000.00 अंकेक्षण तिथि तक जमा नहीं किया गया था। जबकि नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के संचार टावर एवं संचार नियमावली 2012 के अनुसार अधिष्ठापन के समय प्रति टावर पंजीकरण रू0 30,000.00 एवं अधिष्ठापन वर्ष के अगले वर्ष से रू0 8000.00 नवीकरण शुल्क की वसूली करना है। उक्त लंबित राशि से सबंधित विस्तृत विवरणी प्रतिवेदन के परिशिष्ट "ट" पर संलग्न है। संलग्न विवरणी की राशि के संबध में निर्गत आपत्ति के आलोक में निर्गत आपत्ति के अनुपालन में बताया गया कि वसूली की दिशा में आवश्यक कारवाई की जायेगी।

अतः अंकेक्षण का मंतव्य है कि नगर पंचायत के अन्तर्गत अधिष्ठापित टावरों से बकाया राशि पर अपने स्तर से विलंब दंड की गणना कर कुल राशि की वसूली की जाय एवं कृत कारवाई के परिणाम से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, स्थानीय निधि अंकेक्षण निदेशालय, बिहार, पटना को भी अवगत कराया जाय।

(19) रू0 3,87,612.00 स्वास्थ्य एवं शिक्षा शेष की राशि जमा करने योग्य।

होल्डींग टैक्स निर्धारण संबंधि संचिका के समीक्षा एवं जॉच के क्रम में पाया गया कि नगर पंचायत, शिवहर द्वारा होल्डींग टैक्स मद में गृह कर 2.50 प्रतिशत, शौचालय कर 02 प्रतिशत, जलकर 01 प्रतिशत स्वास्थ्य कर–1.25 प्रतिशत तथा शिक्षा कर 1.25 प्रतिशत कुल 08 प्रतिशत की दर से वर्ष 13–14 में रूपया 1,88,920.00 एवं वर्ष 14–15 में रू0 1189254.00 कुल रू0 1378174.00 की वसूली की गयी थीं। उक्त वर्षो में वसूल की गयी राशि की विस्तृत विवरणी प्रतिवेदन के परिशिष्ट "ध" एवं न" पर संलग्न की गई है। नियमानुसार होल्डींग टैक्स

मद में स्वास्थ्य शेष मद में वसूल की गयी राशि का 1.25 प्रतिशत एवं शिक्षा शेष मद में वसूल की गयी राशि का 1.25 प्रतिशत में से 10 प्रतिशत नगर निकाय द्वारा प्रभार शुल्क काटकर संबधित शीर्ष में जमा किया जाना है। वर्ष 13–14 एवं 14–15 में कुल वसूली की राशि रू0 1378174.00 के स्वास्थ्य एवं शिक्षा शेष की राशि रू0 215340.00 रू0 +215340.00 कुल रू0 430680.00 मे से प्रभार शुल्क की राशि रू0 43,068.00 की कटौती कर शेष रू0 3,87,612.00 संबधित शीर्ष में जमा नहीं किया गया था। उक्त के संबध में निर्गत आपत्ति के जबाब में कहा गया कि जमा की कारवाई की जायेगी।

अतः नगर पंचायत कार्यालय को यह सुझाब दिया जाता है कि उक्त स्वास्थ्य एवं शिक्षा शेष की राशि रू0 3,87,612.00 को संबधित शीर्ष में जमा कर फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, स्थानीय निधि अंकेक्षण निदेशालय, बिहार, पटना को भी अवगत कराया जाय।

(20) रू0 13,29,133.00 का व्यय आपत्तिअर्न्तगत।

नगर पंचायत, शिवहर के शुल्क उगाही रोकड़ पुस्त के व्यय पक्ष की जॉच के क्रम में पाया गया कि पूर्व के वर्षो में सम्पादित विभिन्न योजनाओं के एस0 डी0 एस0 टी0, आई0 टी0, रोयाल्टी, लेबर सेस एवं कीप बैक की राशि प्रारम्भ से दिसम्बर' 12 तक रू0 430425.00 तथा जनवरी' 13 से मार्च' 14 तक की राशि रू0 8,98,708.00 दिनांक– 31.03.14 को कुल राशि रू0 13,29,133.00 का व्यय दर्शाया गया था। उक्त व्यय से संबधित अभिलेख (साक्ष्य) अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नही होने के कारण व्यय के औचित्यतता की जॉच नहीं की जा सकी। दर्शाई गई व्यय के संबध निर्गत आपत्ति के अनुपालन में कहा गया कि पी0 एल0 खाता एवं रोकड़ पुस्त से मिलान कर विवरणी भवदीय के कार्यालय को प्रेषित कर दी जायेगी।

अतः अंकेक्षण का मंतव्य है कि उक्त व्यय राशि के औचित्यतता की जॉच स्थानीय पदाधिकारी अपने स्तर से करने एवं व्यय विवरणी तैयार कराकर वित्त (अंकेक्षण) विभाग, स्थानीय निधि अंकेक्षण निदेशालय, बिहार ,पटना को प्रेषित किया जाय तबतक दर्शाई गई व्यय की राशि रू0 13,29,133.00 को आपतिअर्न्तगत रखा जाता है। उक्त व्यय राशि के अतिरिक्त भी उस तरह का व्यय यदि किया गया है तो इसकी भी जॉच अपने स्तर से कर ली जाय साथ ही उक्त अभिलेखों को अगले अंकेक्षण में भी जॉच हेतु उपस्थापित किया जाय।

1170

(21) रू0 5,34,000.00 अनुदान राशि का संदेहात्मक व्यय आपत्तिअर्न्तगत।

लेखा वर्ष 13–14 एवं 14–15 में नगर पंचायत, शिवहर को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि मद में जिला परिषद, शिवहर से प्रेषित राशियों के सत्यापन क्रम में पाया गया कि उपविकास आयुक्त सह कार्यपालक पदाधिकारी, शिवहर के पत्रांक –65 दिनांक–10.10.13 द्वारा रू0 5,34,000.00 प्रेषित की गई थी, जिसकी प्रविष्टि जिला परिषद् के रोकड़ पुस्त में भी की गई थी। सत्यापन क्रम में पाया गया कि नगर पंचायत शिवहर द्वारा उक्त प्रेषित पत्र के आलोक में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि रोकड़ पुस्त में दिनांक 26.10.13 आय पक्ष में प्रविष्ट की गई थी। नगर पंचायत कार्यालय द्वारा उक्त योजना के लिए संधारित बैंक खाता को अद्यतन कराने पर वास्तविक रूप में राशि प्राप्त नहीं होने की स्थिति में दिनांक–30.05.15 को रू0 5,34,000.00 रोकड़ पुस्त से घटा दिया गया था। जॉच क्रम में पाया गया कि अंकेक्षण समाप्ति तिथि तक उक्त राशि कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ था और न ही कार्यालय द्वारा उक्त राशि के प्राप्ति हेतु कोई कारवाई की गई थी। उक्त राशि के संबध में निर्गत आपत्ति के अनुपालन में बताया गया कि राशि प्राप्त करने हेतु पत्राचार किया जा रहा है।

अतः अंकेक्षण का मंतव्य है कि उक्त राशि की प्राप्ति हेतु नगर पंचायत द्वारा आवश्यक कारवाई की जाय और राशि प्राप्त नहीं होने की स्थिति में अग्रेतर कारवाई हेतु उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाय। उक्त प्रेषित राशि के प्राप्ति हेतु कृत कारवाई के परिणाम से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, स्थानीय निधि अंकेक्षण निदेशालय, बिहार, पटना को भी अवगत करया जाय। तबतक जिला परिषद द्वारा दर्शाइ गई व्यय की राशि को संदेहात्मक व्यय के अंतर्गत रखा जाता है।

(22) रू0 2,40,000.00 योजना पर अनाधिकृत व्यय आपतिअर्न्तगत।

नगर पंचायत संचित निधि मद के यो0 सं0 02/13–14 उपविकास आयुक्त, शिवहर के आवासीय परिसर में गैरेज निर्माण के योजना अभिलेख के जॉच क्रम में पाया गया कि नगर पंचायत के सशक्त स्थायी समिति के प्रस्ताव सं0–11 दि0 –20.09.13 के द्वारा उप विकास आयुक्त के आवासीय परिसर में गैरेज निर्माण का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् उक्त कार्य के सम्पादन हेतु रू0 3,26,900.00 का प्राक्कलन तैयार कर श्री नथुनी चौधरी टैक्स दारोगा को

अभिकर्ता नियुक्त किया गया तथा विभिन्न तिथियों में रू0 2,40,000.00 अग्रिम प्रदान किया गया जो निम्नवत् है –

30.10.13	–	15,000.00	होल्डींग टैक्स
04.11.13	–	50,000.00	
21.11.13	–	1,00,000.00	
02.07.14	–	75,000.00	शुल्क उगाही
कुल रू0	–	2,40,000.00	

उक्त भुगतान नगर पंचायत के संचित निधि से उपविकास आयुक्त के आवासीय परिसर में गैरेज निर्माण हेतु किया गया जो नियमानुकुल नहीं है, चूँकि उपविकास आयुक्त के आवास के निर्माण एवं रख रखाव का कार्य जिला परिषद के कार्यक्षेत्र के अर्न्तगत आता है। उक्त निर्माण के संबध में निर्गत आपत्ति के आलोक में बताया गया कि भविष्य में इसपर ध्यान दिया जायेगा।

अतः अंकेक्षण का मंतव्य है कि भविष्य में नगर पंचायत के संचित निधि से सामान्य लोगो के सुविधा हेतु कार्य किया जाय। तबतक उक्त योजना पर व्यय की गई राशि को अनाधिकृत व्यय की श्रेणी में रखते हुए आपत्तिअर्न्तगत रखी जाती है।

(23) रू0 8,74,548.00 अग्रिम की राशि समायोजनार्थ लंबित।

नगर पंचायत शिवहर द्वारा संधारित अग्रिम रोकड़ पुस्त एवं सामान्य रोकड़ पुस्त के समीक्षा क्रम में पाया गया कि दिनांक–17.07.2000 को अग्रिम रोकड़ पुस्त में विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर रू0 8,74,548.00 अग्रिम दर्शाया गया था। दर्शाई गई अग्रिम राशि किस प्रयोजन के लिए दिया गया था। इससे संबधित कोई भी साक्ष्य अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त अग्रिम राशि का विस्तृत विवरण जो अग्रिम रोकड़ बही के आधार पर तैयार किया गया है, प्रतिवेदन के परिशिष्ट "प" पर संलग्न है। संलग्न विवरणी में उल्लिखित अग्रिम राशि के समायोजन हेतु कृत कारवाई हेतु निर्गत आपत्ति के अनुपालन में बताया गया कि समायोजन हेतु आवश्यक कारवाई की जा रही है।

1168

अतः अंकेक्षण का मंतव्य है कि अग्रिम राशि रू0 8,74,548.00 का समायोजन यथाशीघ्र की जाय एवं कृत कारवाई के परिणाम से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, स्थानीय निधि अंकेक्षण निदेशालय, बिहार, पटना को भी अवगत कराया जाय।

(24) रू0 4,80,000.00 योजना अग्रिम के समायोजन के संबंध में।

नगर पंचायत शिवहर के संचित निधि मद के योजना अभिलेखों के जॉच क्रम में पाया गया कि विभिन्न योजनओं के कार्यान्वयन हेतु अभिकर्ता श्री नथुनी चौधरी टैक्स दारोगा को अग्रिम राशि रू0 4,40,000.00 का भुगतान विभिन्न तिथियों में किया गया था। योजना अभिलेखों के जॉच क्रम में पाया गया कि अंकेक्षण तिथि तक प्राप्त अग्रिम से कम राशि का मापी पुस्त में अंकित था तथा मापी के अनुरूप अभिलेख में अभिश्रव भी संलग्न नहीं था। उक्त अग्रिम से विस्तृत विवरण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "ब" पर संलग्न किया गया है। उक्त के संबध में निर्गत आपत्ति के अनुपालन में बताया गया कि योजना कार्य शीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा।

अतः अंकेक्षण का मंतव्य है कि प्रतिवेदन में संलग्न विवरणी में उल्लिखित योजनाओं का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराकर योजना पर दी गयी अंग्रिम राशि रू0 4,80,000.00 का समायोजन किया जाय एवं कृत कारवाई के परिणाम से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, स्थानीय निधि अंकेक्षण निदेशालय, बिहार, पटना को भी अवगत कराया जाय।

(25) रू0 2,90,00,762.86 अव्यवहृत राशि प्रस्वीकृति पदाधिकारी को वापस करने के संबध में।

नगर पंचायत, शिवहर द्वारा संधारित सहायक रोकड़ पुस्त के संवरण शेष के समीक्षा क्रम में पाया गया कि पूर्व के वर्षो में विकास मद में विभिन्न मदो में प्राप्त अनुदान की राशि को व्यय नहीं कर रोकड़ शेष के रूप में बहुत बड़ी राशि अव्यवहृत पड़ी हुई है जो निम्नवत् है।

क्र0	स0 रो0 पु0/मद का नाम	तिथि	राशि
1.	राष्ट्रीय गंदी वस्ती यो0	05.12.12	57,608.00
2.	स्वच्छता एवं सफाई	31.03.07	1,63,551.86
3.	आधारभूत संरचना	01.04.14	21,65,971.00
4.	आई0 डी0 एस0 एम0 टी0	28.06.11	6,05,825.00
5.	नगर विकास भवन	–	9928125.00

6.	स्वर्ण जयंती शहरी रो0 यो0	–	79682.00
7.	बस स्टैंड निर्माण	–	1,60,00,000.00
		कुल रू0 –	**2,90,00762.86**

उक्त अव्यवहृत राशि के संबध में निर्गत आपत्ति के अनुपालन में बताया गया कि राशि वापसी हेतु आवश्यक कारवाई की जा रही है।

अतः अंकेक्षण का मंतव्य है कि उक्त अव्यवहृत राशि के व्यय नहीं होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार से निदेश प्राप्त कर राशि वापसी की दिशा में शीघ्र कारवाई की जाय ताकि उक्त राशि का व्यय विकास कार्य में किया जा सके। नगर पंचायत द्वारा उक्त के संबंध में कृत कारवाई के परिणाम से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, स्थानीय निधि अंकेक्षण निदेशालय, बिहार, पटना को अवगत कराया जाय।

(26) रू0 3238.00 मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क की राशि कोषागार में जमा योग्य।

नगर पंचायत, शिवहर के शुल्क उगाही पंजी एवं नाजीर रसीद के मिलान के क्रम में पाया गया कि वर्ष 14–15 में विभिन्न सैरातों की बंदोवस्ती की गई थी एवं बंदोवस्ती की राशि पर मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन शुल्क के रूप में क्रमशः रू0 58,221.00 और 43,666.00 की कटौती की गई थी। जॉच क्रम में पाया गया कि काटी गई मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन शुल्क की राशि से कम राशि क्रमशः रू0 56,371.00 एवं रू0 42278.00 कोषागार चालान के माध्यम से दिनांक–26.11.14 को शीर्ष 0001 में जमा किया गया था। अर्थात् मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क की वसूली से क्रमशः रू0 1850.00 एवं 1388.00 कुल रू0 3238.00 संबधित शीर्ष में कम जमा किया गया। उक्त कटौती एवं जमा की विस्तृत विवरणी प्रतिवेदन के परिशिष्ट "फ" पर संलग्न की गई है। उक्त के संबंध में निर्गत आपत्ति के अनुपालन में कहा गया कि काटी गयी राशि एवं जमा राशि का मिलान करने के पश्चात् राशि कोषागार में जमा कर दी जायेगी।

अतः मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन शुल्क के कम जमा राशि रू0 3238.00 को संबंधित शीर्ष में जमा कर कृत कारवाई के परिणाम से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, स्थानीय निधि अंकेक्षण निदेशालय, बिहार, पटना को भी अवगत कराया जाय।

(27) आंतरिक लेखा परीक्षा :– अंकेक्षण दल के समक्ष आंतरिक लेखा परीक्षा से संबंधित कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया।

1116

(28) कार्यपालक से वार्तालाप :–

अंकेक्षण क्रम में उठायी गयी आपत्ति के संबंध में नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी एवं कर्मियों से अनुपालन के संबध में वार्ता किया।

(29) लेखा परीक्षा का परिणाम :– विस्तृत विवरण परिशिष्ट (क) (i) पर संलग्न।

(i) अंकेक्षण के दौरान वसूली गयी राशि	–	शून्य।
(ii) वसूली हेतु सुझायी गई राशि	–	1,05,51,472.91
(iii) आपतिअर्न्तगत राशि	–	2103133.00
(iv) सुझावात्मक राशि	–	3238.00
(v) अग्रिम समायोजन हेतु लंबित राशि	–	13,54,548.00
(vi) अव्यवहृत राशि	–	2,90,00762.86

20.9.17

उप लेखा नियंत्रक
वित्त (अंकेक्षण) विभाग
बिहार, पटना।

<u>मिलान एवं शुद्धिकर्त्ता का हस्ताक्षर</u>

परिशिष्ट – "क" कंडिका– "2" से संबधित।

(क) प्रस्तुत अभिलेख :–

- (i) सामान्य रोकड़ पुस्त
- (ii) सहायक रोकड़ पुस्त
- (iii) वेतन भुगतान पंजी
- (iv) अग्रिम भुगतान पंजी
- (v) चेक पंजी (आंशिक)
- (vi) बैंक पासबुक
- (vii) योजना पंजी
- (viii) योजना अभिलेख (आंशिक)
- (ix) रसीद बही
- (x) भंडार पंजी (रसीद बही/उपस्कर)
- (xi) गाड़ी का लौग बुक
- (xii) बजट से संबधित संचिका
- (xiii) सैरात पंजी/अभिलेख
- (xiv) बैठक पंजी
- (xv) भुगतान अभिश्रव
- (xvi) पी० एल० खाता

(ख) अप्रस्तुत अभिलेख :–

- (i) डीमांड रजिस्टर
- (ii) कलेक्सन रजिस्टर
- (iii) परिसंपत्ती पंजी
- (iv) वार्षिक लेखा से संबधित संचिका
- (v) सेवा पुस्त
- (vi) निबंधित वास्तुविद् की सूची।

1164

परिशिष्ट – "क(i)" कंडिका – "29" से संबधित।

लेखा परीक्षा का परिणाम

क्र0	कंडिका सं0	वसूल की गई राशि	वसूली हेतु सुझायी गयी राशि	आपतिअन्तर्गत राशि	अग्रिम समायोजन की राशि	सुझावात्मक राशि	अव्यवहृत राशि	अभ्युक्ति
01	09	–	34200.00	–	–	–	–	
02	10	–	413687.00	–	–	–	–	
03	11	–	14205.00	–	–	–	–	
04	12	–	61,40,000.00	–	–	–	–	
05	13	–	11,650.00	–	–	–	–	
06	14	–	1,221.00	–	–	–	–	
07	15	–	667.00	–	–	–	–	
08	16	–	488.00	–	–	–	–	
09	17	–	3047742.91	–	–	–	–	
10	18	–	5,00,000.00	–	–	–	–	
11	19	–	3,87,612.00	–	–	–	–	
12	20	–	–	1329133.00	–	–	–	
13	21	–	–	5,34,000.00	–	–	–	
14	22	–	–	2,40,000.00	–	–	–	
15	23	–	–	–	874548.00	–	–	
16	24	–	–	–	4,80,000.00	–	–	
17	25	–	–	–	–	–	2,90,00762.86	
18	26	–	–	–	–	3238.00	–	

/163

परिशिष्ट – "ख" कंडिका – "04" से संबंधित।

तेरहवीं वित्त आयोग – वर्ष 13–14

प्राप्ति की तिथि	राशि	मद का नाम	व्यय राशि	अभ्युक्ति
13.05.13	13,84,808.00	चापाकल	2614050.00	
		ठोस अवशिष्ट प्रबंधन	2512625.00	
		अन्य	शून्य	

वर्ष – 14–15

31.07.14	70,876.00	चापाकल	285277.00	
02.08.14	1304113.00			
30.09.14	9627.00	नाला निर्माण ईंट सोलींग	1793663.00	
12.11.14	1280702	योजना पर कटौती की गई रोयाल्टी लेबर शेष एवं सेल्स टैक्स।	109015.00	

1162

परिशिष्ट – "ग" कंडिका – "04" से संबंधित।

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि – वर्ष 13–14

प्राप्ति की तिथि	राशि	मद का नाम	व्यय राशि	अभ्युक्ति
26.10.13	34,93,000.00	नाला निर्माण एवं पी0 सी0 सी0	597718.00	
10.01.14	5,77,000.00	चापाकल	2463643.00	
		सामुदायिक भवन	152544.00	
		योजना पर आयकर रॉयाल्टी, सेल्स टैक्स कटौती	319412.00	
		मानदेय	10,000.00	

वर्ष – 14–15

31.07.14 13.09.14	7,47,927.00 1,86,472.00	ईंट सोलींग पी0 सी0 सी0 तथा नाला निर्माण	3378825.00	वर्ष 14–15 में प्राप्त आय ब्याज की राशि है।
		योजना पर आयकर रॉयाल्टी सेल्स टैक्स इत्यादि की कटौती	372809.00	
		अन्य	17648.00	

परिशिष्ट – "घ" कंडिका – "04" से संबंधित

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग – वर्ष 13–14

प्राप्ति की तिथि	राशि	मद का नाम	व्यय राशि	अभ्युक्ति
05.06.13 11.01.14 26.03.14 27.03.14	80,66,282.00 1,95,313.00 81,54,167.00 40,000.00	पेयजल	शुन्य	
		ईट सोलींग एवं नाला निर्माण	12,60,949.00	
		स्वच्छता	शून्य	
		पुस्तकालय	शून्य	
		विद्युत/आकस्मिकता	120910.00	
		वेतन	15,58,010.00	

वर्ष – 14–15

04.07.14 25.03.15 27.03.15 30.03.15	2,94,792.00 50,84,958.00 4045428.00 10,00,000.00	पेयजल		
		ईट सोलींग एवं नाला निर्माण		
		स्वच्छता		
		पुस्तकालय		
		विद्युत/आकस्मिकता		
		वेतन		

1160

पूर्ण एवं अपूर्ण योजनाओं की भौतिक स्थिति

परिशिष्ट "ड़" कंडिका – "5" से संबंधित

योजनाओं की भौतिक स्थिति

क्र0 सं0	अनुदान का मद	योजना का वर्ष	कुल कार्य योजना	पूर्ण यो0	अपूर्ण यो0	अपूर्ण यो0 की प्रा0 राशि	अपूर्ण यो0 पर अग्रिम
1	संचित निधि योजनान्तर्गत (अपने आय श्रोत से)	2013–14	19	17	2	7,46,900	4,80,000
2	13 वें वित्त आयोग	2013–14	1	1			
3	जलापूर्ति योजना	2013–14	1	1			
4	मुख्यमंत्री नगर विकास योजना	2013–14	4	4			
5	पथ निर्माण जीर्णोद्धार	2013–14	2	2			
6	स्वर्ण जयंती	2013–14	2	2			
7	नाला निर्माण जीर्णोद्धार	2013–14	2	2			
8	चतुर्थ राज्य वित्त	2013–14	10	10			
9	बी0 आर0 जी0 एफ0 योजना	2013–14	4	4			
10	राष्ट्रीय सम विकास	2014–15	2	2			
11	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	2014–15	22	22			
12	संचित निधि	2014–15	15	15			
13	बी0आर0जी0एफ0 योजना	2014–15	11	11			
14	13 वें वित्त आयोग	2014–15	3	3			

लेखा वर्ष 13–14 एवं 14–15 में बजट से संबंधित विवरणी

परिशिष्ट –"च" कंडिका – "07" से संबंधित।

क्र0 सं0	वर्ष	अनुमानित आय	अनुमानित व्यय	वास्तविक आय	वास्तविक व्यय	वास्तविक आय एवं अनुमानित आय में अन्तर	वास्तविक व्यय एवं अनुमानित व्यय में अंतर	अभ्युक्ति
01	13–14	6,17,21,672.15	8,68,81,396.00	127372305.00	75497150.00	65650632.85	1,13,84,246.00	
02	14–15	12,28,41,454.00	10,67,96,729.00	8,87,02753.00	67638543.00	34138701.00	39158186.00	

158

बैंक में जमा राशि की विवरणी

परिशिष्ट "छ" कंडिका– "8 (ii) से संबंधित।

क्र0	बैंक का नाम/खाता सं0	01.04.13	31.03.14	31.3.15	अभ्युक्ति
	01	02	03	04	05
1.	केनरा बैंक, शिवहर 3132101001298	54,44,299.00	1,10,45,795.00	965460.00	
2.	बैंक ऑफ इंडिया 443610100011227	71,07,755.00	7394908.00	7693663.00	
3.	केनरा बैंक 3132101001299	8,67,032.00	363745.00	2709206.00	
4.	सेंट्रल बैंक 1812484822	1,41,490.00	147206.00	153153.00	
5.	एस0 बी0 आई0 11469258694	2304564.11	964408.11	121758.11	
6.	एस0 बी0 आई0 11469258718	761844.06	792623.06	824113.06	
7.	केनरा बैंक 3132101004362	Nil	56,91,000.00	381304.00	
8.	सेंट्रल बैंक 1812517441	53795.00	55968.00	32555.00	
9.	सेट्रल बैंक 1812479594	104353.00	108569.00	1,12,955.00	
10.	बैंक ऑफ इंडिया 443610210000014	7,23,729.00	8890319.00	2822614.49	
11.	पी0 एन0 बी0 4993000100034315	623042.31	66104.00	679656.31	

12.	एस0 बी0 आई0 11469258707	556668.17	579158.17	602168.17	
13.	सेंट्रल बैंक 1812471142	172060.00	179011.00	186243.00	
14.	सेंट्रल बैंक 3317945524	Nil	x	3,70,3000.00	
15.	सेंट्रल बैंक 1812429543	2913164.93	3877174.93	2482128.93	
16.	एस0बी0आई0 11469258605	7171.02	7460.02	7756.02	
17.	सेंट्रल बैंक 1812484038	12547.00	13054.00	13581.00	
18.	बैंक ऑफ बड़ौदा 32580100012007	Nil	x	1,60,00,000.00	
19.	सेट्रल बैंक 1812426440	2347311.00	17986581.00	21038972.00	
20.	बैंक ऑफ इ0 6540	25825.50	25825.50	25825.50	
21.	P/L खाता 152	2,26,33874.50	31909090.50	54776185.50	
22.	उ0 बि0 क्षे0 ग्रा0 0018	x	8907645.00	458087.00	
23.	उ0 वि0 क्षे0 ग्रा0 643	x	x	03.00	
24.	30 वि0 क्षे0 ग्रा0 636	x	x	34324.00	
25.	अग्रिम	874548.00	874548.00	874548.00	
	कुल योग –	**47675073.60**	**99880193.09**	**125388402.09**	

वित्तीय वर्ष 13–14 एवं 14–15 में सहायक रोकड़ पुस्त के अंत शेष की स्थिति।

1156

परिशिष्ट – "ज" कंडिका – "8 (iv) से संबंधित।

क्र0	स0रो0 पुस्त का नाम	दि0 01.04.13	दि0 31.03.14	दि0 31.03.15	अभ्युक्ति
	1	2	3	4	5
1.	रा0 सम विकास यो0	7532.00	5698532.00	348759.00	
2.	नागरिक सुविधा एवं पथ निर्माण	731191.94	1493580.94	399343.94	
3.	बारहवीं वित्त आयोग	2196637.00	2196637.00	8945.00	
4.	तेरहवीं वित्त आयोग	5675237.00	1933370.00	2411133.00	
5.	रा0 गंदी बस्ती यो0	57608.00	57608.00	57608.00	
6.	स्वच्छता आयोग	1,18,570.86	1,18,570.86	1,63,551.86	
7.	शुल्क उगाही	1,71,51,689.80	5,08,303.80	1869432.80	
8.	आधारभूत संरचना	2715713.00	1932636.00	2165971.00	
9.	आई0 डी0 एस0 एम0 टी0	605825.00	605825.00	605825.00	
10.	बी0आर0जी0एफ0	10631622.00	1,11,58305.00	8323422.00	
11.	मु0मंत्री शहरी विकास	449680.00	8616270.00	2071556.00	
12.	होल्डींग टैक्स	615261.31	38900.31	655348.31	
13.	सा0सु0पे0 योजना	8,87,600.00	7,64,800.00	1219900.00	
14.	स्वर्ण जयंती योजना	73,301.00	73,301.00	79682.00	
15.	लघु सिंचाई (पेयजल)	840406.65	18301522.65	38141167.65	
16.	कन्या विवाह/कवीर	491400.00	48900.00	9,08,000.00	
17.	चन्दा उगाही	230.50	230.50	230.50	
18.	योजना अग्रिम	634729.63	634729.63	634729.63	
19.	नगर सरकार भवन	–	61,40,000.00	9928125.00	
20.	बस स्टैंड निर्माण	–	1,60,00,000.00	1,60,00,000.00	
21.	नियोजित शिक्षक	–	8907645.00	487604.00	
22.	जनगणना	–	13830.00	12330.00	

23.	चतुर्थ राज वित्त आयोग	—	1,35,15,893.00	1,27,99,266.00	
24.	शहरी जिविका मिशन	—	—	3703000.00	
	कुल योग –	**46884235.69**	**9,8759,390.00**	**11,98,23600.69**	

नगर पंचायत, शिवहर के वर्ष 13–14 का वितिय संव्यवहार

परिशिष्ट – "झ" कंडिका – "8 (v) से संबंधित।

क्र0	मद का नाम	प्रा0शेष	आय			जोड़ (4+5+6)	कुल आय (3+7)	ब्यय		कुल व्यय (9+10)	अंत शेष (8–11)
			अनुदान	ब्याज	अन्य			योजना	अन्य		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	तेरहवीं वित्त आयोग	56,75,237.00	1384808.00	–	–	1384808.00	7060045.00	2614050.00	2512625.00	5126675.00	1933370.00
2.	पिछड़ा क्षेत्र अनु0 निधि	10631622.00	40,70,000.00	–	–	40,70,000.00	14701622.00	3543317.00	–	3543317.00	11158305.00
3.	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	–	16260449.00	–	195313.00	16455762.00	16455762.00	1260949.00	1678920.00	2939869.00	13515893.00
4.	बारहवीं वित्त आयोग	2196637.00	–	–	–	–	2196637.00	–	–	–	2196637.00
5.	मुख्य मंत्री नगर विकास योजना	4,49,680.00	9905135.00	–	–	9905135.00	10354815.00	1738545.00	–	1738545.00	8616270.00
6.	कबीर अत्येष्ठी/कन्या विवाह	4,91,400.00	1707500.00	–	–	1707500.00	2198900.00	–	21,50,000.00	21,50,000.00	48900.00
7.	राष्ट्रीय सम विकास योजना	7532.00	5691000.00	–	–	5691000.00	5698532.00	–	–	–	5698532.00